कैम्प कार्यालय जिलाधिकारी फर्रूखाबाद।

संख्या 5687 /आ0ले0–जि0अ0–2014 दिनांक 07, जून 2014

1– पुलिस अधीक्षक,
फतेहगढ़।
2– अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)
फर्रूखाबाद।
3– समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार
जनपद फर्रूखाबाद।
4– समस्त क्षेत्राधिकारी(पुलिस)
फर्रूखाबाद।
5– समस्त थाना प्रभारी
जनपद फर्रूखाबाद।

प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म उ0 प्र0 शासन के पत्र संख्या 1666 (1)/86–2014–371/2005 दिनांक 07–06–2014 द्वारा किसी भी तरह का अवैध खनन तत्काल प्रभाव से समाप्त किये जाने और अवैध खनन करते हुए पाये गये व्यक्तियों के विरूद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करने, खनन के समय पाये गये ट्रेक्टर आदि को जब्त करने के निर्देश दिये गये हैं। यह उत्तरदायित्व पुलिस और प्रशासन दोनों का ही है कि जिले में खनन को तत्काल प्रभाव से रोका जाय।

स्पष्ट किया जाता है कि जिले में किसी को भूतत्व एवं खनिकर्म की अनुमति नहीं है। यदि किसी को व्यक्तिगत कार्य हेतु किसी भूतत्व मिटटी एवं बालू की आवश्यकता होती है तो उसकी नियमानुसार अनुमति ली जायेगी और तभी मिटटी या बालू का खनन किया जायेगा इसके अतिरिक्त किसी भी तरह का खनन नहीं हो सकता है।

स्पष्ट निर्देश दिये जाते हैं कि बिना अनुमति के कोई भी खनन कार्य चाहे वह मिटटी या बालू हो, कदापि न होने दिया जाये। जिस थाना क्षेत्र में यह शिकायत मिलेगी, उस थाना क्षेत्र के प्रभारी तथा सम्बन्धित लेखपाल, यदि उनके द्वारा सूचना देकर प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई है तो उनके विरूद्व कार्यवाही की जायेगी।

(एन0के0एस0 चौहान)
जिलाधिकारी
फर्रूखाबाद।

प्रतिलिपिः–

1– प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म उ0 प्र0 शासन लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2– आयुक्त महोदय कानपुर मण्डल कानपुर की सेवा में अवलोकनार्थ प्रेषित।

(एन0के0एस0 चौहान)
जिलाधिकारी
फर्रूखाबाद।